संख्या-42/2025/आई/967231/23-7-2025/001-23-7005(002)/21/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (बजट "क" वर्ग),
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2025

विषय:-रिट याचिका सं0-2258/2024 मै0 शर्मा कान्ट्रेक्टर (प्रो0 वीरेन्द्र शर्मा) बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-893 बी0जी0 /209बी0(138)/2024-25, दिनांक 21.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रिट याचिका सं0-2258/2024 मै0 शर्मा कान्ट्रेक्टर (प्रो0 वीरेन्द्र शर्मा) बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के अनुपालन में भुगतान हेतु धनराशि रू0 28.05 लाख (रूपये अट्ठाइस लाख पांच हजार मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 28,05,000 (रूपये अट्ठाइस लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-42/2025/आई/967231(1)/23-7-2025/001-23-7005(002)/21/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, अमरोहा।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अमरोहा।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।
8- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।
9- अधिशासी अधियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11-लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।